RESULT MITRA

Test No. 4 (General Studies- 2)

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए इसकी प्रकृति और दायरे पर टिप्पणी कीजिए.

उत्तर:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है:

हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में स्थापित करने तथा सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करने की शपथ लेते हैं:

न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

स्वतंत्रता - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की;

समानता - स्थिति और अवसर की; तथा सभी के बीच बढ़ावा देना;

बंधुत्व - व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना;

हमारी संविधान सभा में, इस 26 नवंबर, 1949 को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और स्वयं को समर्पित करते हैं।"

प्रस्तावना की प्रकृति

प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के दृष्टिकोण और उद्देश्य को प्रस्तुत करती है। यह एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक न्याय दोनों को बनाए रखता है।

जैसा कि प्रस्तावना में घोषित किया गया है, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, जिसे किसी भी विदेशी प्राधिकरण के अधीन हुए बिना कानून बनाने का अधिकार है। गणतंत्र शब्द इस बात पर जोर देता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, और हर सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए सुलभ है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

भारत के विविध समुदायों और धर्मों के बीच एकता को बनाए रखने के लिए, प्रस्तावना राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की पुष्टि करती है - जिसका अर्थ है कि सरकार सभी धर्मों के साथ समान सम्मान से पेश आती है और किसी एक धर्म का समर्थन या पक्ष नहीं लेती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अधिकार का स्रोत स्वयं लोग हैं; संविधान अपनी वैधता उनसे प्राप्त करता है।

प्रस्तावना का दायरा

अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों के विपरीत, भारत के संविधान में एक विस्तृत और व्यापक प्रस्तावना है। हालाँकि यह प्रत्यक्ष कानूनी शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करता है जो संविधान के इरादे और भावना को दर्शाता है।

प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के मूलभूत मूल्यों को निर्धारित करती है - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - जिन्हें राज्य को संरक्षित और बढ़ावा देना चाहिए।

हालाँकि प्रस्तावना अपने आप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन संवैधानिक व्याख्या में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसी स्थितियों में जहाँ संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है, न्यायालय अक्सर स्पष्टता के लिए प्रस्तावना का संदर्भ लेते हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना को समाहित करती है, इस प्रकार संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति पर सीमाएँ लगाती है जिससे इसके मूल मूल्यों में बदलाव हो सकता है।

2. भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द से आप क्या समझते हैं? संवैधानिक प्रावधानों में यह किस प्रकार परिलक्षित होता है?

उत्तर:

भारत में धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता एक प्रमुख सिद्धांत है जो सरकार और राज्य के कामकाज से धर्म को अलग करने पर जोर देता है। पश्चिमी संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म और राज्य के बीच एक स्पष्ट विभाजन, जहाँ सरकार न तो किसी धार्मिक प्रथा का समर्थन करती है और न ही उसमें हस्तक्षेप करती है।

भारत में, धर्मनिरपेक्षता संविधान में अंतर्निहित है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहे और इसका उद्देश्य है:

• किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर हावी होने से रोकना।

• किसी धार्मिक समूह के भीतर कुछ व्यक्तियों के दूसरों पर हावी होने से सुरक्षा करना।

• सुनिश्चित करना कि राज्य न तो किसी धर्म को लागू करे और न ही उसका पक्ष ले और प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करे।

इन आदर्शों को बनाए रखने के लिए, भारतीय राज्य धर्म से एक मापी गई दूरी बनाए रखने की नीति अपनाता है। हालाँकि भारतीय मॉडल धर्म को राज्य से पूरी तरह से अलग नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक मामलों में राज्य का कोई भी हस्तक्षेप संवैधानिक मूल्यों द्वारा निर्देशित हो - जिसे सैद्धांतिक दूरी कहा जाता है।

धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सुरक्षा उपाय

भारतीय संविधान में कई प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं:

• अनुच्छेद 25: सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

• अनुच्छेद 26: धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

Result Mitra TM

• अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग पर रोक लगाता है।

• अनुच्छेद 28: शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है।

• अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

• अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।

• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को रोकता है।

• अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकारों की रक्षा करता है।

• अनुच्छेद 30: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

प्रस्तावना: भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में मान्यता दी है, जिसका अर्थ है कि इसे संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी बदला या हटाया नहीं जा सकता है।

3. यद्यपि न्यायिक सक्रियता ने न्यायपालिका को लोगों के प्रति अधिक अनुकूल बना दिया है, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण के रूप में सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पक्ष भी है। उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

उत्तर:

भारत में न्यायिक सक्रियता

न्यायिक सक्रियता संविधान की व्याख्या करने और न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को संदर्भित करती है। यह एक गतिशील दृष्टिकोण है जहाँ न्यायालय संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विधायी या कार्यकारी शाखाओं द्वारा पारित कार्यों या कानूनों को अमान्य कर देते हैं।

भारत में न्यायिक समीक्षा की नींव संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है, जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। समय के साथ, इन अधिकारों का दायरा मानवीय और सामाजिक चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ है। परिणामस्वरूप, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में तेजी से सक्रिय भूमिका निभाई है कि इन अधिकारों को बरकरार रखा जाए, जिससे लोगों के जीवन में इसका प्रभाव और प्रासंगिकता बढ़े।

हालांकि, ऐसे उदाहरण हैं जहां न्यायपालिका के हस्तक्षेप को न्यायिक अतिक्रमण के रूप में माना जाता है - जहां यह पारंपरिक रूप से विधायिका और कार्यपालिका के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कदम रखता है। **कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:**

न्यायिक नियुक्तियाँ: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को अधिकार देना था, को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। इसने सरकार की शाखाओं के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और संतुलन को लेकर चिंताएँ पैदा कीं।

प्रशासनिक निर्णय: न्यायालयों ने प्रदूषण नियंत्रण (वायु, शोर और यातायात), वाहन पार्किंग शुल्क, हेलमेट का उपयोग, कचरा निपटान और सार्वजनिक स्वच्छता जैसे मामलों पर निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि ये जन कल्याण संबंधी चिंताएँ हैं, लेकिन ये आम तौर पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने भारत भर में नदियों को जोड़ने जैसे अत्यधिक तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के कार्यान्वयन का आदेश दिया है - जो आमतौर पर नीति-निर्माताओं और इंजीनियरों द्वारा संभाला जाता है।

पर्यावरण संबंधी निर्णय: न्यायालय ने बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में पर्यटन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य संरक्षण तो है, लेकिन पर्यावरण नीति-निर्माण के साथ ओवरलैप होता है।

जांच की निगरानी: हवाला मामला, चारा घोटाला, ताज कॉरिडोर मामला और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में न्यायपालिका ने जांच और अभियोजन एजेंसियों की निष्क्रियता या अक्षमता का हवाला देते हुए उन पर निगरानी की भूमिका निभाई।

हालांकि ये कार्रवाई अक्सर बेहतर शासन और जन कल्याण सुनिश्चित करने की इच्छा में निहित होती है, लेकिन वे चिंताएं भी पैदा करती हैं। न्यायिक अतिक्रमण - जब अदालतें कार्यकारी या विधायी डोमेन में प्रवेश करती हैं - एक लोकतांत्रिक प्रणाली में निहित शक्तियों के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं और संभावित रूप से सरकार की अन्य शाखाओं के अधिकार और कामकाज को कमजोर कर सकती हैं।

इसके अलावा, यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों होता है। कई मामलों में, न्यायपालिका केवल तभी हस्तक्षेप करती है जब नागरिक विधायी या कार्यकारी शाखाओं की कथित निष्क्रियता या विफलता के कारण इसके हस्तक्षेप की मांग करते हैं, जो अक्सर राजनीतिक प्रभावों या इच्छाशक्ति की कमी के कारण होता है। इसलिए, न्यायिक सक्रियता को शासन अंतराल की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, भले ही यह कभी-कभी संस्थागत सीमाओं को धुंधला कर दे।

4. राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्तियों पर प्रकाश डालें। साथ ही, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर उनके लिए खुले कदमों की सीमा भी बताएँ।

उत्तर:

संविधान के तहत राज्यपाल और विधायी शक्तियाँ

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में राज्यपाल की स्थिति स्थापित करता है। संघ स्तर पर राष्ट्रपति की तरह ही, राज्यपाल राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक डोमेन में अधिकार होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 213)

अनुच्छेद 213 के तहत, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है - या तो विधान सभा, या द्विसदनीय विधायिका के मामले में, दोनों सदन सत्र में नहीं हैं।

राज्यपाल को यह संतुष्ट होना चाहिए कि तत्काल विधायी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।

राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के समान ही कानूनी महत्व रखता है। हालांकि, यह एक अस्थायी उपाय है और राज्यपाल द्वारा किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है।

विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका (अनुच्छेद 200)

जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान अनुच्छेद 200 के तहत निम्नलिखित विकल्प प्रदान करता है:

विधेयक पर स्वीकृति – राज्यपाल विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, जिससे यह कानून बन सकता है।

स्वीकृति रोकना (पूर्ण वीटो) – राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है।

विधेयक को वापस करना (निलंबित वीटो) – यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो राज्यपाल पुनर्विचार के अनुरोध के साथ इसे विधानमंडल को वापस कर सकते हैं। यदि विधानमंडल विधेयक को परिवर्तनों के साथ या बिना परिवर्तनों के पुनः पारित करता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना – कुछ मामलों में, राज्यपाल विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। ऐसा करने के बाद, राज्यपाल की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई और भूमिका नहीं रह जाती।

राष्ट्रपति की भूमिका (अनुच्छेद 201)

Result Mitra TM

जब कोई विधेयक अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित हो जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति निम्न कार्य कर सकते हैं:

अनुमति देकर इसे कानून बना सकते हैं।

अनुमति रोककर इसे अस्वीकृत कर सकते हैं।

विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं।

कुछ विशिष्ट मामलों में, जैसे कि ऐसे विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं या जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के विरुद्ध जाते हैं, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है।

यह संरचना राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का संतुलन सुनिश्चित करती है, साथ ही भारतीय संघीय ढांचे की संवैधानिक अखंडता को भी बनाए रखती है।

5. सुशासन शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में की गई प्रमुख पहलों की पहचान करें?

उत्तर:

सुशासन: अर्थ और महत्व

शासन का तात्पर्य निर्णय लेने और नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से है, जबकि सरकार औपचारिक निकाय है जो इन कार्यों को पूरा करती है। सुशासन की अवधारणा इस बात से संबंधित है कि इन कार्यों को कितनी अच्छी तरह से किया जाता है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता जैसे मूल्यों को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, सुशासन आठ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है:

- भागीदारी
- सर्वसम्मति-उन्मुख दृष्टिकोण
- जवाबदेही
- पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व
- प्रभावशीलता और दक्षता
- समानता और समावेशिता
- कानून के शासन का पालन

इन सिद्धांतों का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना, अल्पसंख्यक और कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और वर्तमान और भविष्य की सामाजिक जरूरतों को पूरा करना है।

नागरिक-केंद्रित शासन के लिए प्रमुख सरकारी पहल

शासन को लोगों के करीब लाने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और ई-गवर्नेंस: पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिकों को आसानी से सरकारी रिकॉर्ड और सेवाओं तक पहुँचने की अनुमति देना।

व्यापार करने में आसानी: प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए लालफीताशाही को कम करने, आर्थिक गतिविधि और निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य।

डिजिटल इंडिया: सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने, पहुँच में सुधार करने और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम।

सामाजिक लेखा परीक्षा: समुदायों को विभिन्न सरकारी पहलों और योजनाओं के सामाजिक और नैतिक प्रभाव का आकलन और समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

प्रगति मंच और निगरानी समितियाँ: प्रगति (सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) और जिला/राज्य-स्तरीय निगरानी निकाय जैसे उपकरण सरकारी परियोजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता को ट्रैक करने में मदद करते हैं।

MyGov (mygov@nic.in) और india.gov.in जैसे नागरिक पोर्टल: जनता की भागीदारी, प्रतिक्रिया और सरकार के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं।

ये पहल क्यों महत्वपूर्ण हैं

समावेशी विकास: सुशासन समाज के सभी वर्गों-विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को अधिकारों और अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।

सार्वजनिक विश्वास और कानून का शासन: कुशल और निष्पक्ष शासन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को मजबूत करता है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है।

भारत ने आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालाँकि, भ्रष्टाचार, विवेक का दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी जैसी लगातार चुनौतियाँ अभी भी सुशासन की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना अधिक न्यायसंगत, समतावादी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

6. राज्यों में लोकायुक्तों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही है ताकि वे अपनी निर्धारित भूमिकाएं पूरी कर सकें। टिप्पणी

उत्तर:

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 और लोकायुक्तों की भूमिका

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जबकि लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए हर राज्य में लोकायुक्तों के निर्माण को भी अनिवार्य करता है।

लोकायुक्त राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों से निपटना है। हालाँकि, संस्था अक्सर कई संरचनात्मक और परिचालन चुनौतियों के कारण अपनी इच्छित भूमिका से चूक जाती है।

लोकायुक्तों के सामने आने वाली चुनौतियाँ

व्यापक कानून का अभाव:

2013 अधिनियम में केवल संक्षेप में राज्यों द्वारा एक वर्ष के भीतर लोकायुक्तों की स्थापना की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनकी शक्तियों, संरचना या अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहता है। एक समान कानून के अभाव के कारण राज्यों में असंगतियाँ पैदा हुई हैं।

हितों का टकराव:

चयन समितियों में अक्सर राजनीतिक हस्तियाँ शामिल होती हैं, जिससे निष्पक्षता पर चिंताएँ उठती हैं, खासकर तब जब लोकायुक्तों से राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक पदाधिकारियों की जाँच करने की अपेक्षा की जाती है।

विलंबित नियुक्तियाँ:

कई राज्यों ने लोकायुक्तों और उपलोकायुक्तों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण देरी का अनुभव किया है, जिससे संस्था लंबे समय तक अप्रभावी रही है।

असंगत अधिकार क्षेत्र:

राज्यों में इस बारे में कोई मानक नियम नहीं है कि लोकायुक्त के दायरे में कौन आता है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री को इससे छूट है।

कमज़ोर व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:

Result Mitra

अधिनियम में व्हिसलब्लोअर के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है। इसके अलावा, अगर आरोपी निर्दोष पाया जाता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ़ जाँच की अनुमति देने वाले प्रावधान लोगों को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करते हैं।

बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता: लोकायुक्त अक्सर जांच के लिए सीबीआई या सीवीसी जैसी एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं, यहां तक कि प्रारंभिक स्तर पर भी, जो उनकी स्वायत्तता और दक्षता को प्रभावित करता है। लोकायुक्त संस्था को मजबूत करने के उपाय लोकायुक्तों को अधिक प्रभावी और स्वतंत्र बनाने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: राज्यों में एक समान ढांचा: राज्यों को लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्तों की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी, स्थानीय निकाय और राज्य द्वारा संचालित निगम शामिल हों। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया: राजनीतिक हेरफेर की गुंजाइश को कम करने के लिए लोकायुक्तों का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। संस्थागत स्वायत्तता: लोकायुक्तों को वित्तीय और प्रशासनिक दोनों तरह की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। संस्था के भीतर समर्पित जांच और अभियोजन शाखाएँ स्थापित की जानी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से जांच शुरू कर सकें और उसे अंजाम दे सकें। व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:

व्हिसलब्लोअर के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए, और इस जिम्मेदारी को उचित कानूनी समर्थन के साथ लोकायुक्त के अधिदेश में औपचारिक रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए।

सरकारी प्रतिक्रिया में जवाबदेही:

यदि कोई राज्य सरकार लोकायुक्त की सिफारिशों को अस्वीकार करने का विकल्प चुनती है, तो उसे जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिखित रूप में अपने कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

लोकायुक्तों को प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के रूप में कार्य करने के लिए, उन्हें अधिक कानूनी स्पष्टता, परिचालन स्वतंत्रता और शिकायत करने वालों के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। इन संस्थानों को सशक्त बनाने से जनता का विश्वास मजबूत होगा और राज्य स्तर पर अधिक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी।

7. भारत में नागरिक समाज संगठनों द्वारा निभाई गई रचनात्मक भूमिका को उदाहरण सहित उजागर करें। साथ ही, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को भी सामने लाएँ।

भारत में नागरिक समाज संगठन: भूमिका और चुनौतियाँ

विश्व बैंक के अनुसार, नागरिक समाज में गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संगठनों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये समूह अपने सदस्यों के हितों

और मूल्यों को दर्शाते हैं और उनकी वकालत करते हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक आधारों पर आधारित होते हैं।

नागरिक समाज संगठनों (CSO) का सकारात्मक योगदान

सुशासन को बढ़ावा देना

CSO पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण मजदूर किसान शक्ति संगठन है, जिसने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नीति वकालत

कई CSO हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। वे नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा में योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, सेव द चिल्ड्रन इंडिया देश भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करता है।

विकासात्मक भागीदारी

आशा और प्रथम जैसे गैर सरकारी संगठन सरकार के साथ मिलकर आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं, खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में। इन सहयोगों ने ग्रामीण और वंचित शहरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है।

नागरिकों को संगठित करना और संसाधनों का उपयोग

CSO स्थानीय समुदायों को विकास पहलों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, पानी फाउंडेशन ने गांवों को सूखा-रोधी बनाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए हैं।

CSO के सामने आने वाली चुनौतियाँ

वित्तीय बाधाएँ

कई CSO को धन की लगातार कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लाभार्थियों में अक्सर वित्तीय रूप से योगदान करने की क्षमता नहीं होती है। कम अंतरराष्ट्रीय फंडिंग ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

कुशल जनशक्ति की कमी

स्वैच्छिक क्षेत्र पेशेवर रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। CSO कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा अयोग्य है, जिससे उनके काम की दक्षता और प्रभाव प्रभावित होता है।

जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दे

कुछ संगठनों में वित्तीय कुप्रबंधन और परिचालन पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएँ उभरी हैं, जिससे हितधारकों और दाताओं के बीच विश्वास की कमी हुई है।

Result Mitra

सरकार के साथ कमज़ोर समन्वय

CSO और सरकारी एजेंसियों के बीच संबंध अक्सर नौकरशाही बाधाओं, अविश्वास और सहयोग की कमी से ग्रस्त होते हैं, जिससे सहयोग कम प्रभावी हो जाता है।

आगे की राह

CSO की भूमिका को मज़बूत करने और मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित कदम सुझाए गए हैं:

संस्थागत संवाद मंच: आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने के लिए CSO और सरकारी निकायों के बीच निरंतर बातचीत के लिए औपचारिक मंच बनाना।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: क्षेत्र के भीतर पेशेवर मानकों को बेहतर बनाने के लिए संरचित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना।

सामाजिक और प्रदर्शन ऑडिट: जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट लागू करना, जिससे जनता का विश्वास और दाताओं का भरोसा बढ़े।

8. नागरिक चार्टर सार्वजनिक सेवाओं को उन लोगों की नज़र से देखता है जो उनका उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में, सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक केंद्रित बनाने में नागरिक चार्टर के महत्व का विश्लेषण करें।

उत्तर:

नागरिक चार्टर: शासन को और अधिक जन-केंद्रित बनाना

नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो किसी संगठन द्वारा नागरिकों को उसके कार्यों, सेवाओं, सेवा वितरण के मानकों और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। यह बताता है कि नागरिक सेवा की गुणवत्ता और समयसीमा के संदर्भ में क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक संस्थानों का कामकाज अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन जाता है।

इसके मूल में, नागरिक चार्टर उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से सेवाओं को देखने पर जोर देता है, यथार्थवादी सेवा मानकों को निर्धारित करने और वितरण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नागरिकों के साथ नियमित और संरचित परामर्श की आवश्यकता होती है।

नागरिक चार्टर नागरिक-केंद्रित शासन को कैसे बढ़ाता है

बेहतर सेवा वितरण और शिकायत निवारण

समयसीमा और गुणवत्ता मानकों को स्पष्ट रूप से बताकर, यह नागरिक शिकायतों को संबोधित करने के लिए अधिक विश्वसनीय सेवाएं और प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है।

सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करना

नागरिक चार्टर सेवाओं को आकार देने और उनका आकलन करने में जनता को शामिल करता है, जिससे नागरिकों को सशक्त बनाया जाता है और नीति-निर्माण को अधिक समावेशी बनाया जाता है।

पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा देना

सेवा वितरण के लिए मानकों को प्रकाशित करने से खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकारी कार्य जनता के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य हो जाते हैं।

सुशासन मूल्यों को बढ़ावा देना

चार्टर समानता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जबकि सार्वजनिक सेवा प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार करने में नागरिक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है।

जवाबदेही को प्रोत्साहित करना

जब स्पष्ट सेवा मानक घोषित किए जाते हैं, तो सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह ठहराना आसान हो जाता है, जिससे प्रशासनिक जिम्मेदारी मजबूत होती है।

सेवोट्टम फ्रेमवर्क: मानकीकरण की ओर एक कदम

देश भर में नागरिक चार्टर में स्थिरता और दक्षता लाने के लिए, सेवोट्टम मॉडल (सेवा उत्कृष्टता मॉडल), जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (II ARC) द्वारा अनुशंसित है, एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह इस पर ध्यान केंद्रित करता है:

सेवा मानक निर्धारित करना

मजबूत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना

नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर निरंतर सेवा सुधार

इस मॉडल को अपनाने से यह सुनिश्चित करके शासन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है कि सार्वजनिक सेवा वितरण एक समान, कुशल और नागरिक-केंद्रित है।

9. भारत को दूसरों के समर्थन के बजाय अपने बढ़ते हितों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव का आधार बनाना चाहिए। विश्लेषण करें।

भारत और हिंद-प्रशांत: सामरिक महत्व और भूमिका

Result Mitra

हिंद-प्रशांत एक विशाल जैव-भौगोलिक क्षेत्र है जो हिंद महासागर, पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर और कनेक्टिंग समुद्रों के उष्णकटिबंधीय जल में फैला हुआ है। हाल के वर्षों में, इस शब्द ने रणनीतिक और कूटनीतिक चर्चा में, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देशों में, इस क्षेत्र के बढ़ते वैश्विक महत्व के कारण जोर पकड़ा है।

जबकि कई प्रमुख शक्तियाँ इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए होड़ कर रही हैं, भारत की रणनीतिक भूमिका को तेजी से उजागर किया जा रहा है:

आसियान देशों ने भारत के लिए अधिक मुखर नेतृत्व की भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के मद्देनजर।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत (FOIP)" के अपने दृष्टिकोण के तहत, इस क्षेत्र में एक मजबूत भारतीय उपस्थिति का आह्वान किया है।

भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय जुड़ावों में, नियम-आधारित व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व पर जोर दिया है।

इंडो-पैसिफिक में भारत के रणनीतिक हित

जबकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उत्साहजनक है, इस क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके अपने रणनीतिक हितों पर आधारित होना चाहिए, जो गहन जुड़ाव और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। इंडो-पैसिफिक में भारत के हित के प्रमुख चालकों में शामिल हैं:

सुरक्षा गतिशीलता और रणनीतिक वास्तुकला

चीन के तेजी से बढ़ते उदय और उसके मुखर क्षेत्रीय व्यवहार ने रणनीतिक अनिश्चितताएं पैदा की हैं। भारत को इस उभरते भू-राजनीतिक वातावरण का जवाब देने के लिए अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीतियों को फिर से तैयार करना चाहिए।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

इंडो-पैसिफिक में जुड़ाव समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाता है, क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देता है और पारस्परिक आर्थिक और सुरक्षा लाभों को बढ़ावा देता है।

आर्थिक और व्यापार के अवसर

दुनिया की आधी से अधिक आबादी और 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब संयुक्त जीडीपी वाला इंडो-पैसिफिक व्यापार, निवेश और विकास साझेदारी के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है।

ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा

इंडो-पैसिफिक में संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग (एसएलओसी) भारत के ऊर्जा आयात और व्यापारिक व्यापार की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं। इन मार्गों को सुरक्षित करना भारत की आर्थिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है।

उत्तर-पूर्व भारत और कनेक्टिविटी लक्ष्य

भारत का लक्ष्य अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को बेहतर बुनियादी ढांचे, व्यापार संबंधों और लोगों के बीच आदान-प्रदान के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना है, जो कि बड़े इंडो-पैसिफिक विजन के साथ संरेखित है।

FIPIC पहल

भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) के माध्यम से प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत का जुड़ाव प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के इरादे को दर्शाता है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ संरेखण

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरक है, जो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करता है।

आगे का रास्ता

इंडो-पैसिफिक में अपनी भूमिका को अधिकतम करने के लिए, भारत को एक व्यापक, दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके व्यापक विदेश नीति लक्ष्यों और भू-राजनीतिक हितों के साथ संरेखित हो। यह क्षेत्र एक नई वैश्विक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है, और भारत को इसे आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालांकि, भारत की सक्रिय भागीदारी को चुनौतियों से भी निपटना होगा, खास तौर पर चीन से रणनीतिक संदेह, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और विभिन्न हितधारकों के बीच आम सहमति की आवश्यकता। एक सूक्ष्म, संतुलित दृष्टिकोण जो दृढ़ता को कूटनीति के साथ जोड़ता है, वह भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सफलता की कुंजी होगा।

Result Mitra

10. भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद को एक मुद्दे के रूप में समझाइए। साथ ही, हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए।

आतंकवाद: भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक केंद्रीय चुनौती

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आतंकवाद सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत को अस्तित्व के लिए खतरा मानने की अपनी दीर्घकालिक धारणा से प्रेरित होकर, पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से अपने व्यापक सैन्य और रणनीतिक ढांचे के हिस्से के रूप में आतंकवादी समूहों का समर्थन और पोषण किया है, जिसे अक्सर "भारत को हज़ारों घाव देकर खून बहाने" के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जाता है। यह नीति भारत के खिलाफ़ उप-पारंपरिक युद्ध के एक उपकरण के रूप में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देती है।

2001 के भारतीय संसद हमले से लेकर 2008 के मुंबई हमलों और पठानकोट (2016), उरी (2016) और पुलवामा (2019) जैसी हालिया घटनाओं तक, ज़्यादातर आतंकी कार्रवाइयों का पता पाकिस्तान स्थित अभिनेताओं से लगाया गया है। इन घटनाओं ने न केवल भारी जनहानि की है, बल्कि जम्मू और

कश्मीर में अस्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। इस तरह के हमलों की लगातार प्रकृति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जब तक इस्लामाबाद एक मौलिक नीतिगत बदलाव नहीं करता, आतंकवाद एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दा बना रहेगा।

भारत की कूटनीतिक स्थिति और अपेक्षाएँ

भारत ने द्विपक्षीय वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को लगातार उठाया है। भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपने क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादियों को समर्थन देने या उन्हें शरण देने सहित किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए न करने की अपनी बार-बार की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करे।

भारत की पाकिस्तान से ये अपेक्षाएँ हैं:

- अपनी धरती पर आतंकवादी ढाँचे को नष्ट करना।
- आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को बंद करना।
- 26/11 मुंबई हमलों में शामिल लोगों के मुकदमे में तेज़ी लाना।
- आतंकवाद के खिलाफ़ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करना।

भारत की रणनीतिक और सामरिक प्रतिक्रियाएँ

पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे और हमलों के जवाब में, भारत ने कई तरह की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रणनीतियाँ अपनाई हैं, जिनमें शामिल हैं:

सर्जिकल स्ट्राइक (2016)

उरी हमले के जवाब में, भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट करने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार सटीक और लक्षित हमले किए।

बालाकोट एयर स्ट्राइक (2019)

पुलवामा हमले के बाद, भारतीय वायु सेना ने बालाकोट के अंदर अग्रिम गैर-सैन्य हवाई हमले किए, जो भारत के आतंकवाद विरोधी रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

आर्थिक उपाय

पुलवामा के बाद, भारत ने आर्थिक प्रतिशोध के रूप में पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) व्यापार का दर्जा रद्द कर दिया और पाकिस्तानी सामानों पर भारी आयात शुल्क लगा दिया।

कूटनीतिक दबाव

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को सक्रिय रूप से उजागर किया है और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) में मजबूत वकालत के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण पर जवाबदेही पर जोर दिया है।

बलूचिस्तान एक दबाव बिंदु के रूप में

Result Mitra TM

भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति को भी उजागर करना शुरू कर दिया है, जो इसके क्षेत्रीय रुख में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है और पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाता है।

सैन्य मुद्रा और सैद्धांतिक बदलाव

कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत उकसावे की स्थिति में तेजी से लामबंदी और सीमित लेकिन तीव्र सैन्य कार्रवाई की कल्पना करता है।

भारत के परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के सार्वजनिक बयानों ने भविष्य की आक्रामकता को रोकने के लिए रणनीतिक संकेत के रूप में काम किया है।

निष्कर्ष

भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले भारत के राजनीतिक संकल्प और सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण थे। इन कार्रवाइयों ने पाकिस्तान के लिए रणनीतिक गणित को बदल दिया है, जिसे अब अपने भविष्य के निर्णयों में भारत के बढ़ते जोखिम पर विचार करना होगा।

आगे चलकर, भारत का दृढ़ और बहुआयामी दृष्टिकोण - जिसमें सैन्य तत्परता, कूटनीतिक जुड़ाव और रणनीतिक संकेत शामिल होंगे - सीमा पार से आतंकवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को परिभाषित करता रहेगा

11. जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि अनुच्छेद 3 राज्यों की कीमत पर केंद्र को हड़पने की शक्ति प्रदान करता है, दूसरों के अनुसार यह संसद को संविधान में निहित संघवाद को बनाए रखने और संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। चर्चा करें। क्या सहकारी संघवाद की भावना में अनुच्छेद-3 पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है?

परिचय:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बना सकती है, राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है, या उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। यद्यपि यह प्रावधान प्रशासनिक लचीलापन सुनिश्चित करता है, लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है, क्योंकि यह शक्ति संतुलन को केंद्र के पक्ष में झुका सकता है और संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। वर्तमान में, सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 3 के निहितार्थों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 3 क्या प्रदान करता है?
अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित अधिकार देता है:

- **नए राज्यों का निर्माण** - पृथक्करण अथवा एकीकरण द्वारा।
- **सीमाओं में परिवर्तन** - मौजूदा राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण।

- **नाम परिवर्तन** - किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार।

इस प्रक्रिया की एकमात्र शर्त यह है कि संबंधित राज्य विधानमंडल से इस पर विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समयावधि के भीतर राय मांगी जाए। हालांकि, यह राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।

अनुच्छेद 3 को केंद्र को अतिरिक्त अधिकार क्यों माना जाता है?

1. **राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं:** केंद्र सरकार किसी राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, केवल "परामर्श" की आवश्यकता होती है।
2. **संघवाद की भावना का उल्लंघन:** एक सच्चे संघीय ढांचे में, घटक इकाइयों (राज्यों) को उन निर्णयों में अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए जो उनकी क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करते हैं।
3. **राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना:** केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनुच्छेद 3 का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए सीमाओं में बदलाव करने या क्षेत्रीय विरोध को कमजोर करने के लिए कर सकता है।
4. **असमान शक्ति संरचना:** संविधान भले ही संघीय हो, परंतु अनुच्छेद 3 सत्ता को अत्यधिक केंद्रीकृत करता है, जिससे एकात्मक प्रवृत्ति की ओर झुकाव हो सकता है।

अनुच्छेद 3 संघवाद को कैसे संरक्षित कर सकता है?

1. **प्रशासनिक लचीलापन:** यह संविधान संशोधन की आवश्यकता के बिना क्षेत्रीय मांगों (जैसे, तेलंगाना) का त्वरित समाधान प्रदान करता है।
2. **गतिरोध से बचाव:** राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाने से निर्णय प्रक्रियाएँ जटिल हो सकती हैं, खासकर जब हितों का टकराव हो।
3. **राष्ट्रीय एकता:** अनुच्छेद 3 एक एकीकृत शासन प्रणाली का संरक्षण करते हुए आंतरिक पुनर्गठन की अनुमति देता है।
4. **संसदीय सर्वोच्चता:** एक विविधतापूर्ण देश में, केंद्रीय समन्वय स्थायी विकास और एकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण से पुनर्विचार क्यों आवश्यक है?

- **बदलती राजनीतिक हकीकत:** आज का भारत मजबूत क्षेत्रीय दलों और पहचान की विशेषता है, जो अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्तिकरण:** राज्यों की सहमति अनिवार्य करना लोकतांत्रिक वैधता को बढ़ाएगा।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** वर्तमान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सार्वजनिक बहस की कमी है।

Result Mitra TM

- **संघर्ष से बचाव:** हाल के उदाहरण (जैसे आंध्र प्रदेश का विभाजन) बताते हैं कि बिना पर्याप्त परामर्श के लिए गए निर्णय दीर्घकालिक अस्थिरता और तनाव का कारण बन सकते हैं।

आगे का रास्ता:

1. **संविधान संशोधन:** अनुच्छेद 3 में संशोधन कर राज्यों की सहमति अनिवार्य या अधिक प्रभावशाली बनाना।
2. **स्वतंत्र संघीय आयोग:** पुनर्गठन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए तटस्थ और परामर्शात्मक निकाय की स्थापना।
3. **संस्थागत परामर्श:** अंतर-राज्य परिषद जैसे निकायों को महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय के लिए अधिक सक्रिय करना।
4. **नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण:** स्थानीय समुदायों और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:
जबकि अनुच्छेद 3 का उद्देश्य नव स्वतंत्र भारत की एकता और प्रशासनिक सुविधा को बनाए रखना था, इसके वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार आवश्यक है। भारत एक परिपक्व संघीय लोकतंत्र बन गया है, और इसलिए, सहकारी संघवाद की भावना के साथ एक बेहतर संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तभी भारत "विविधता में एकता" के अपने वास्तविक अर्थ को बनाए रख पाएगा।

12. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों के दायरे और सीमा पर चर्चा करें। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई घोषणा और कार्यकारी कार्रवाइयों के संबंध में न्यायिक जांच की सीमा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

परिचय:
अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा करने का अधिकार देता है। यह तब लागू किया जाता है जब देश को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। एक बार यह घोषित हो जाने पर, संघीय ढाँचा लगभग एकात्मक हो जाता है, और केंद्र की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं।

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

1. **आपातकाल की उद्घोषणा:**
    - **घोषणा का आधार:** राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हों कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

- **कैबिनेट की सलाह:** यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर आधारित होनी चाहिए।

2. **अवधि और संसदीय अनुमोदन:**
   - **प्रारंभिक अनुमोदन:** आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए।
   - **निरंतरता:** एक बार स्वीकृत हो जाने पर, आपातकाल 6 महीनों के लिए जारी रह सकता है और इसे हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।
3. **केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव:**
   - **निर्देश देने की शक्ति:** केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकती है।
   - **राज्य सरकारों का नियंत्रण:** राज्य सरकारें बनी रहती हैं, लेकिन वे संघ के सीधे नियंत्रण में कार्य करती हैं।
4. **विधायी शक्तियों पर प्रभाव:**
   - **विषय सूची का अधिकार:** संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो सामान्यतः राज्य सूची में आते हैं।
   - **अधिनियम और अध्यादेश:** राष्ट्रपति राज्य मामलों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद का सत्र न चल रहा हो।
5. **मौलिक अधिकारों पर प्रभाव:**
   - **अधिकारों का निलंबन:** अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अदालतों में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के, जिन्हें 44वें संशोधन (1978) के तहत संरक्षित किया गया है।

न्यायिक समीक्षा:
शुरुआत में, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं थी, लेकिन समय के साथ, न्यायपालिका ने इस अधिकार का विस्तार किया है।

1. **प्रारंभिक सीमित समीक्षा:**
   - **एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 का निलंबन संभव है, लेकिन इसे बाद में व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा।
2. **44वाँ संशोधन (1978) और अन्य बदलाव:**

Result Mitra TM

- **कैबिनेट की लिखित सलाह:** अब आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है।
- **सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान:** "आंतरिक गड़बड़ी" को हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" जोड़ा गया, जिससे दुरुपयोग की संभावना कम हुई।
- **अधिकार संरक्षण:** अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- **मनिका गांधी बनाम भारत संघ (1980):** न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई।
- **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** राष्ट्रपति के संतोष का न्यायिक परीक्षण संभव है, जो अनुच्छेद 356 के समान सिद्धांत है।

3. **वर्तमान स्थिति:**
   - **न्यायिक नियंत्रण:** राष्ट्रपति की संतुष्टि की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "मालाफाइड", "मनमानी" या "प्रासंगिक सामग्री की कमी" के आधार पर की जा सकती है।
   - **आत्मसंयम:** हालांकि, न्यायपालिका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आत्मसंयम बरतती है।

महत्वपूर्ण मूल्यांकन:

सकारात्मक पहलू:

- राष्ट्रीय संकट के दौरान त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की अनुमति देता है।
- युद्ध या विद्रोह जैसी स्थितियों में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखता है।
- 44वें संशोधन ने इसके दुरुपयोग की संभावना को कम किया।

चुनौतियाँ:

- 1975 के आपातकाल के दौरान इसका गंभीर दुरुपयोग हुआ, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारी क्षति पहुँची।
- संसद और कार्यपालिका की सत्यनिष्ठा पर अत्यधिक निर्भरता।
- न्यायिक समीक्षा अक्सर देर से आती है और आपातकाल की वास्तविक अवधि के दौरान प्रभावी नहीं हो सकती।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ लोकतांत्रिक क्षरण का जोखिम भी जुड़ा है। 1975 के आपातकाल के दुरुपयोग ने महत्त्वपूर्ण सबक सिखाए, जिनके

Result Mitra TM

परिणामस्वरूप 44वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए। न्यायिक समीक्षा अब एक महत्वपूर्ण जाँच बन गई है, लेकिन इसे प्रभावी और शीघ्र होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपातकालीन प्रावधान राजनीतिक सुविधा का उपकरण न बनें। एक संवैधानिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

13. विधायी शक्तियों के संदर्भ में राज्य सभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना लोक सभा से करें। इस संदर्भ में राज्य सभा को दी गई विशेष शक्तियों पर भी प्रकाश डालें।

परिचय:

भारत का संसदीय ढाँचा द्विसदनीय (Bicameral) है, जिसमें **लोकसभा (लोगों का सदन)** और **राज्यसभा (राज्यों की परिषद)** शामिल हैं। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, जो इसे अधिक जनप्रतिनिधि और शक्तिशाली बनाता है, जबकि राज्यसभा एक सतत निकाय है जो राज्यों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। दोनों सदनों की विधायी शक्तियाँ कई मामलों में समान हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में भिन्नता भी है।

विधायी शक्तियों की तुलना:

पहलू	लोकसभा	राज्यसभा
साधारण बिल	पेश और पारित कर सकते हैं।संयुक्त बैठक में अंतिम निर्णय।	पेश और पारित कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक में हारा जा सकता है।
धन विधेयक (अनुच्छेद 110)	केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।बजट, अनुदान और वित्तीय मामलों में सर्वोच्च अधिकार।	न संशोधन कर सकती है न अस्वीकार।केवल 14 दिनों में सिफारिशें दे सकती है।
संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)	संख्या बल के कारण अधिक प्रभावी।	संख्यात्मक कमजोरी के कारण अपेक्षाकृत कमजोर।
कार्यपालिका पर नियंत्रण	अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा सकती है।	ऐसा कोई अधिकार नहीं। सरकार को हटा नहीं सकती।

राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ:

1. **राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 249):**
    - राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषयों पर "राष्ट्रहित" में कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

- यह शक्ति केवल राज्यसभा के पास है; लोकसभा के पास इसका समकक्ष अधिकार नहीं है।

2. **अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण (अनुच्छेद 312):**
   - राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के निर्माण को स्वीकृति दे सकती है।
   - यह अधिकार भी केवल राज्यसभा को प्राप्त है।
3. **महाभियोग और संवैधानिक संशोधन में भूमिका:**
   - राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना और संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियाँ हैं।
4. **संघीय संतुलन का संरक्षण:**
   - राज्यसभा राज्यों की परिषद होने के नाते, संघीय ढाँचे के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

निष्कर्ष:
हालाँकि लोकसभा अपनी प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया और वित्तीय मामलों में प्रमुखता के कारण अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा केवल एक "द्वितीयक सदन" नहीं है। इसकी अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष शक्तियाँ, और संवैधानिक संशोधन में भूमिका, इसे संघीय और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक संस्था बनाती हैं। राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य परिपक्व बहस, संतुलन, और जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना है। यह भारत के संघीय ढाँचे के स्थायित्व और लोकतांत्रिक परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण है।

Result Mitra

14. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने CAG को "संभवतः भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" क्यों माना? CAG के कामकाज में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें।

परिचय:
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भारतीय संविधान में "संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" माना, जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG की स्थापना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली का प्रावधान है, जो इसे जनता के धन का संरक्षक बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाताओं का पैसा कानूनी, कुशल और इच्छित उद्देश्यों के लिए ही खर्च किया जाए।

CAG को महत्वपूर्ण क्यों माना गया?

1. **विधानमंडल की कार्यपालिका पर निगरानी:**

- CAG सरकारी खातों और व्यय का ऑडिट करता है, जिससे संसद और राज्य विधानसभाएँ कार्यपालिका की वित्तीय निगरानी कर सकती हैं।
- यह वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाता है।

2. **स्वतंत्रता और संवैधानिक स्थिति:**
   - CAG एक संवैधानिक अधिकारी है, जो कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है।
   - इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया नहीं जा सकता, जिससे इसकी स्वतंत्रता बनी रहती है।
3. **पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका:**
   - CAG सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, अक्षमताओं और नीतिगत विफलताओं को उजागर करता है (उदाहरण: 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाले)।
   - यह एक प्रभावी वित्तीय प्रहरी की भूमिका निभाता है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
4. **सशासन का साधन:**
   - CAG वित्तीय अनुशासन, प्रदर्शन लेखा परीक्षा और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहित करता है।
   - इसकी रिपोर्ट्स प्रशासनिक सुधारों और नीतिगत पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

CAG की कार्यप्रणाली में आने वाली चुनौतियाँ:

1. **प्रवर्तन शक्तियों का अभाव:**
   - CAG केवल एक लेखापरीक्षा निकाय है, न कि कोई जाँच या प्रवर्तन एजेंसी।
   - इसकी रिपोर्ट्स केवल अनुशंसात्मक होती हैं, जिन पर कार्रवाई संसद और कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर करती है।
2. **रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी:**
   - CAG रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत न करने से इनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता कम हो जाती है।
3. **सीमित ऑडिट कवरेज:**
   - कई क्षेत्र, जैसे निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) और स्वायत्त निकाय, CAG की प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा से बाहर हैं, जिससे व्यापक जवाबदेही सीमित हो जाती है।
4. **राजनीतिक हस्तक्षेप और गलत व्याख्या:**

Result Mitra

- CAG के निष्कर्ष अक्सर राजनीतिकरण का शिकार हो सकते हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है।

5. **संसाधन बाधाएँ:**
   - कुशल लेखा परीक्षकों की कमी, और डिजिटल व वित्तीय तकनीकी प्रणालियों की जटिलता के कारण ऑडिट कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
6. **अनुपालन तंत्र का अभाव:**
   - CAG की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई सशक्त तंत्र नहीं है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

आगे का रास्ता:

1. **लेखापरीक्षा सुधार:**
   - ऑडिट कवरेज का विस्तार करना, जैसे PPP परियोजनाएँ, गैर-सरकारी संगठन (NGO) जो सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं, और कल्याणकारी योजनाएँ।
2. **तकनीकी उन्नयन:**
   - डेटा एनालिटिक्स, AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करना और लेखा परीक्षकों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना।
3. **लोक लेखा समिति (PAC) को सशक्त करना:**
   - यह सुनिश्चित करना कि CAG की सिफारिशों का त्वरित अनुपालन और प्रवर्तन हो।
4. **स्वायत्तता बढ़ाने के लिए संशोधन:**
   - CAG को प्राथमिकता निर्धारण और बजटीय स्वतंत्रता में अधिक शक्तियाँ देना।
5. **नियुक्तियों में पारदर्शिता:**
   - एक स्वतंत्र चयन निकाय या कॉलेजियम प्रणाली स्थापित करना, जिससे CAG की नियुक्तियाँ निष्पक्ष और प्रभावी हों।

निष्कर्ष:
डॉ. अंबेडकर का CAG के महत्व पर दिया गया वक्तव्य लोकतांत्रिक अखंडता और वित्तीय जवाबदेही की दिशा में एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हालाँकि CAG ने ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सशक्त और गतिशील बनाने की आवश्यकता है। एक मजबूत और स्वतंत्र CAG संविधान की भावना और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

Result Mitra TM

15. भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक भागीदारी इस क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है। विश्लेषण करें

परिचय:
भारत का पड़ोस, विशेषकर दक्षिण एशिया, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक संबंध और साझा चुनौतियाँ मौजूद हैं। हालाँकि, चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, आर्थिक निवेश, राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से। यह भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय नेतृत्व की स्थिति को चुनौती दे रहा है।

भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती भागीदारी:

1. **आर्थिक प्रभाव:**
    - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** चीन ने दक्षिण एशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जैसे -
        - **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)**
        - **श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह**
        - **नेपाल में रेल और सड़क परियोजनाएँ**
    - **व्यापार निर्भरता:** चीन, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन गया है, जो भारत की आर्थिक पकड़ को चुनौती देता है।
2. **सामरिक और सैन्य भागीदारी:**
    - **सैन्य सहयोग:** चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को हथियार और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है।
    - **नौसैनिक उपस्थिति:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, जिसमें ग्वादर, हंबनटोटा और चटगाँव जैसे बंदरगाह शामिल हैं, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
3. **राजनीतिक और कूटनीतिक उत्तोलन:**
    - **राजनीतिक प्रभाव:** चीन आर्थिक निवेश के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति और नीतिगत फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
    - **बहुपक्षीय मंचों पर सक्रियता:** चीन SAARC और SCO जैसे मंचों में सक्रिय भूमिका निभाकर भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करता है।

भारत के राजनयिक उद्देश्यों के लिए चुनौतियाँ:

1. **पारंपरिक प्रभाव का क्षरण:**

Result Mitra TM

- चीन की "चेकबुक कूटनीति" भारत के पारंपरिक साझेदारों को बीजिंग के करीब ला रही है, जिससे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध कमजोर हो रहे हैं।

2. **घेराबंदी और सामरिक दबाव:**
   - चीन की "मोतियों की माला" (String of Pearls) रणनीति, जो हिंद महासागर में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाती है, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।
   - **CPEC** पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है।
3. **राजनीतिक संतुलन और सीमित उत्तोलन:**
   - भारत के पड़ोसी देश चीन का प्रभाव उपयोग कर भारत से अधिक रियायतें प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं।
   - क्षेत्रीय सर्वसम्मति का अभाव, जैसे BIMSTEC जैसी पहलें, जो सामरिक और व्यापारिक संबंधों में जटिलताएँ उत्पन्न करती हैं।
4. **आंतरिक राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:**
   - चीनी निवेश, जो बिना किसी लोकतांत्रिक या पर्यावरणीय शर्तों के आता है, उसे भारत की नौकरशाही और धीमी परियोजना निष्पादन प्रक्रिया से अधिक आकर्षक बनाता है।

भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रियाएँ और आगे का रास्ता:

1. **पड़ोस प्रथम नीति:**
   - विकास सहायता, कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, और आपदा राहत जैसे प्रयास (उदाहरण: COVID-19 के दौरान वैक्सीन कूटनीति) को प्राथमिकता देना।
2. **सागर (SAGAR - Security and Growth for All in the Region):**
   - हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करना।
3. **एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक रणनीति:**
   - ASEAN, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्वाड जैसे समूहों के साथ साझेदारी को मजबूत करना, जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
4. **बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी पहल:**
   - जैसे - **कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट**, **त्रिपक्षीय राजमार्ग** और **चाबहार बंदरगाह**, जो क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
5. **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:**

Result Mitra TM

- सांस्कृतिक कूटनीति, जन-जन संपर्क और क्षमता निर्माण का उपयोग करना।

निष्कर्ष:
दक्षिण एशिया में चीन की बहुआयामी भागीदारी भारत के लिए एक जटिल रणनीतिक चुनौती है। हालाँकि भारत चीन की आर्थिक शक्ति का पूर्ण मुकाबला नहीं कर सकता, इसे विश्वास आधारित साझेदारियों, सुधारित परियोजना निष्पादन और क्षेत्रीय सहयोग ढाँचों में नेतृत्व पर जोर देना चाहिए। यह यथार्थवाद और जुड़ाव का संतुलित मिश्रण, आपसी सम्मान और साझा विकास की भावना के साथ, भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

16 हालाँकि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में लगातार सुधार हुआ है। चर्चा करें। इस संदर्भ में भारत-अमेरिका '2+2' वार्ता के महत्व पर भी प्रकाश डालें।

परिचय:
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, पिछले दो दशकों में अपने द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन का साक्षी बने हैं। व्यापार, रक्षा, और वैश्विक राजनीति पर मतभेदों के बावजूद, यह साझेदारी बहुआयामी रूप ले चुकी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, आर्थिक सहयोग और हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर आधारित है। **'2+2' मंत्रिस्तरीय संवाद** ने इस रणनीतिक साझेदारी को संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार:

1. **रक्षा और सामरिक सहयोग:**
   - **महत्वपूर्ण समझौते:**
     - **LEMOA (2016)** - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (रसद समर्थन)।
     - **COMCASA (2018)** - कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (सुरक्षित संचार)।
     - **BECA (2020)** - बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (भौगोलिक खुफिया जानकारी साझा करना)।
   - **संयुक्त सैन्य अभ्यास:**
     - युद्ध अभ्यास, मालाबार, टाइगर ट्रायम्फ जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या में वृद्धि।
2. **इंडो-पैसिफिक पर अभिसरण:**

Result Mitra

- दोनों देश **स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक** क्षेत्र की वकालत करते हैं।
- **क्वाड (Quad)** के माध्यम से समन्वय, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

3. **आर्थिक और तकनीकी जुड़ाव:**
   - द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $190 बिलियन से अधिक हो गया, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।
   - **महत्वपूर्ण क्षेत्र:** सेमीकंडक्टर्स, 5G/6G तकनीक, AI और स्वच्छ ऊर्जा।
4. **जन-जन संपर्क और शिक्षा संबंध:**
   - अमेरिका में 4 मिलियन से अधिक भारतीय-अमेरिकी समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान।
   - STEM शिक्षा, स्टार्टअप और नवाचार में सहयोग।
5. **वैश्विक और बहुपक्षीय जुड़ाव:**
   - जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर साझा चिंताएँ।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **व्यापार विवाद:** टैरिफ, बौद्धिक संपदा और डिजिटल सेवा करों पर असहमति।
- **वीज़ा और एच-1बी चिंताएँ:** भारतीय पेशेवरों पर संभावित प्रभाव।
- **रूस पर मतभेद:** विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्वतंत्र विदेश नीति कभी-कभी अमेरिकी अपेक्षाओं से अलग हो जाती है।

भारत-अमेरिका '2+2' वार्ता का महत्व:

'2+2' मंत्रिस्तरीय संवाद 2018 में शुरू किया गया था, जो भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों को उनके अमेरिकी समकक्षों के साथ एक मंच पर लाता है। यह रणनीतिक संबंधों की समीक्षा और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने का उच्च-स्तरीय मंच है।

महत्व:

1. **रणनीतिक स्पष्टता और निरंतरता:**
   - रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग, विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक में समन्वय बढ़ाना।
2. **संस्थागत संवाद:**

Result Mitra

- रणनीतिक और संस्थागत स्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे नियमित मूल्यांकन और दीर्घकालिक योजनाएँ बनाना संभव होता है।

3. **रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरसंचालनीयता:**
    - **DTTI (Defence Technology and Trade Initiative)** के माध्यम से रक्षा प्रणालियों के संयुक्त विकास और उत्पादन को बढ़ावा देता है।
4. **उभरते खतरों पर प्रतिक्रिया:**
    - साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को मजबूत करना।
5. **वैश्विक अनिश्चितता में विश्वास का निर्माण:**
    - रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामकता जैसी वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद संवाद बनाए रखना।

निष्कर्ष:

हालाँकि भारत-अमेरिका संबंध पूरी तरह से तनाव-मुक्त नहीं हैं, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपने संबंधों को गहरा करने का स्थिर प्रयास किया है। **'2+2' संवाद** एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरा है, जो मतभेदों को दूर करने, सहयोग को मजबूत करने और साझेदारी का विस्तार करने में सहायक है। भारत के लिए, अमेरिका के साथ एक स्थिर लेकिन गहरी साझेदारी बनाए रखना वैश्विक आकांक्षाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

17. ब्रिक्स का विस्तार इस समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में ब्रिक्स की मौजूदा ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें।

परिचय:

BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का गठन 2009 में वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज़ को मजबूत करने और पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक संस्थाओं को चुनौती देने के उद्देश्य से किया गया था। हाल के विस्तार (2023) में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को शामिल करके, BRICS अब एक अधिक व्यापक भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक मंच के रूप में उभर रहा है। यह विस्तार BRICS की वैश्विक व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है।

BRICS की वर्तमान ताकत:

1. **बढ़ता आर्थिक दबदबा:**

- विस्तार के बाद, BRICS अब विश्व की लगभग **45% जनसंख्या** और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का **30% (PPP)** प्रतिनिधित्व करता है।
- इसमें प्रमुख ऊर्जा उत्पादक (सऊदी अरब, रूस) और बड़े उपभोक्ता (भारत, चीन) शामिल हैं।

2. **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा:**
   - यह IMF, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसी पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाओं के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करता है।
   - वैश्विक शासन में सुधार की वकालत, विशेषकर वित्तीय और सुरक्षा संस्थानों में।
3. **डी-डॉलरीकरण और वित्तीय सहयोग:**
   - सदस्य देश राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** जैसे वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।
   - उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना।
4. **संसाधनों और क्षमताओं की विविधता:**
   - BRICS सदस्य विभिन्न प्रकार की शक्तियों का योगदान करते हैं -
     - **प्राकृतिक संसाधन:** रूस, ब्राज़ील
     - **प्रौद्योगिकी:** भारत, चीन
     - **ऊर्जा:** सऊदी अरब, UAE
     - **राजनयिक प्रभाव:** दक्षिण अफ्रीका, मिस्र
5. **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:**
   - वैश्विक दक्षिण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, साझा विकास चिंताओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है।

BRICS की वर्तमान कमजोरियाँ और चुनौतियाँ:

1. **आंतरिक भू-राजनीतिक तनाव:**
   - भारत-चीन सीमा विवाद, लोकतांत्रिक (भारत, ब्राज़ील) और सत्तावादी (चीन, रूस) शासन प्रणालियों के बीच मतभेद।
   - सामरिक प्रतिस्पर्धा, सर्वसम्मति निर्माण और सामूहिक कार्रवाई में बाधा डालती है।
2. **संस्थागत गहराई का अभाव:**

Result Mitra TM

- G7 या EU की तुलना में BRICS के पास एक मजबूत संस्थागत ढाँचे, सचिवालय या प्रवर्तन तंत्र की कमी है।

3. **आर्थिक मॉडल और रुचियों में विविधता:**
   - सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ विकास के विभिन्न चरणों में हैं, और उनकी घरेलू प्राथमिकताएँ और विदेश नीति के लक्ष्य भिन्न हैं।
4. **विस्तार के मानदंड और सामंजस्य:**
   - अचानक और विविध विस्तार समूह की पहचान को कमजोर कर सकता है।
   - नए सदस्यों (जैसे, ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया) के बीच व्यापक वैचारिक और रणनीतिक अंतर हैं।
5. **वैश्विक वित्तीय वास्तुकला पर सीमित प्रभाव:**
   - महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, BRICS अब तक IMF, WTO, या SWIFT जैसी प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को गंभीर चुनौती देने में असमर्थ रहा है।

निष्कर्ष:

BRICS का विस्तार एक साहसिक कदम है जो इसे एक आर्थिक ब्लॉक से एक भू-राजनीतिक गठबंधन की ओर बढ़ने में सक्षम बना सकता है। इसकी ताकत इसकी जनसांख्यिकी, आर्थिक और संसाधन विविधता में निहित है, लेकिन आंतरिक सामंजस्य, संस्थागत संरचना और रणनीतिक समन्वय की कमी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। यदि BRICS एक विश्वसनीय विकल्प बनना चाहता है, तो उसे आंतरिक विरोधाभासों को हल करना, ठोस क्षमताओं का निर्माण करना और प्रभावी संस्थागत तंत्र विकसित करना आवश्यक होगा।

Result Mitra

18. शहरी और ग्रामीण उत्तर प्रदेश में गरीबी और भुखमरी के मुद्दे किस प्रकार भिन्न हैं?

परिचय:
उत्तर प्रदेश (यूपी), भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, गरीबी और भुखमरी की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। हालाँकि ये समस्याएँ पूरे राज्य में फैली हुई हैं, लेकिन इनके स्वरूप, कारण और चुनौतियाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी भिन्न हैं। इन अंतरों का मुख्य कारण आजीविका, बुनियादी ढाँचे और सेवाओं तक पहुँच में असमानता है।

गरीबी में अंतर:

पहलू	ग्रामीण उत्तर प्रदेश	शहरी उत्तर प्रदेश

रोज़गार की प्रकृति	कृषि और अनौपचारिक श्रम का प्रभुत्व	अनौपचारिक क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण, स्ट्रीट वेंडिंग
आय अस्थिरता	मौसमी खेती और मानसून पर निर्भरता	शहरी अर्थव्यवस्था के झटकों पर निर्भरता (जैसे, लॉकडाउन)
संपत्ति का स्वामित्व	भूमिहीन या छोटे/सीमांत किसान	प्रवासी और झुग्गी-झोपड़ी निवासी, जिनके पास संपत्ति नहीं
कल्याण तक पहुँच	योजनाओं तक बेहतर पहुँच (जैसे, MGNREGA)	दस्तावेज़ों की कमी के कारण बहिष्करण (राशन कार्ड, पहचान पत्र)
बहुआयामी गरीबी	खराब शिक्षा, स्वच्छता और आवास	भीड़भाड़, प्रदूषण और अनौपचारिक बस्तियाँ

भुखमरी और कुपोषण में अंतर:

पहलू	**ग्रामीण उत्तर प्रदेश**	**शहरी उत्तर प्रदेश**
भोजन की उपलब्धता	खुद की खेती या स्थानीय बाजारों पर निर्भरता	ऊँची खाद्य कीमतें, स्ट्रीट फूड और प्रोसेस्ड फूड पर निर्भरता
पोषण	खराब आहार विविधता, अनाज पर अधिक निर्भरता	असंतुलित आहार, सस्ता लेकिन पोषणहीन भोजन
बाल कुपोषण	मातृ निरक्षरता, स्वच्छता की कमी	शहरी गरीबों में उच्च, भीड़भाड़ और अस्वच्छता
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)	ग्रामीण पहचान के कारण अधिक प्रभावी	राशन कार्ड की कमी के कारण बहिष्कार और रिसाव

अंतर्निहित कारण और चुनौतियाँ:

ग्रामीण इलाकों:

- कम कृषि उत्पादकता और आय की अस्थिरता।
- गैर-कृषि रोजगार के अवसरों की कमी।
- अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा।
- सामाजिक असमानताएँ और जातीय भेदभाव।

शहरी क्षेत्र:

- उच्च प्रवास दर, जिससे बस्तियाँ भीड़भाड़ का शिकार।
- अनौपचारिक बस्तियाँ, जिनमें बुनियादी सेवाओं की कमी।
- नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव।
- जीवन यापन की बढ़ती लागत।

आगे बढ़ने का रास्ता:

1. **शहरी समाधान:**
    - प्रवासियों के लिए लक्षित भोजन और स्वास्थ्य योजनाएँ।
    - पोर्टेबल PDS (चलती-फिरती राशन प्रणाली)।
    - शहरी रोजगार गारंटी योजनाएँ।
2. **ग्रामीण समाधान:**
    - कृषि का विविधीकरण, कौशल प्रशिक्षण।
    - पोषण-केंद्रित मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम।
3. **सामान्य आवश्यकताएँ:**
    - लाभार्थियों की बेहतर पहचान के लिए मजबूत डेटा सिस्टम।
    - शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य में अधिक निवेश।
    - राज्य और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय।

निष्कर्ष:

हालाँकि गरीबी और भुखमरी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य समस्याएँ हैं, इनकी प्रकृति, गहराई और समाधान की आवश्यकताएँ भिन्न हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ अपनानी होंगी, जो इन कमजोरियों को स्वीकार करती हों और एक मजबूत वितरण तंत्र और समावेशी नीतियों के माध्यम से गरीबों का समर्थन करती हों।

19. उपभोक्ता बाज़ार की सेवा के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बड़े उद्यमों में बदलने में आने वाली चुनौतियों की जाँच करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

परिचय:

स्वयं सहायता समूह (SHG) मुख्य रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं द्वारा संचालित ऐसे सामुदायिक

Result Mitra TM

संगठन हैं, जिन्होंने वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म उद्यमिता और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, इन्हें बड़े पैमाने पर उपभोक्ता-सामना वाले उद्यमों में बदलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए कौशल विकास, बुनियादी ढाँचा और बाजार तक पहुँच में लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

SHG को बड़े उद्यमों में बदलने की चुनौतियाँ:

1. **सीमित व्यवसाय और तकनीकी कौशल:**
    - अधिकतर SHG सदस्यों के पास औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है, जैसे - उद्यमिता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग।
    - अक्सर ये समूह पारंपरिक, असंगठित तरीकों से काम करते हैं, जो आधुनिक बाज़ार की मांगों के अनुरूप नहीं हैं।
2. **बाज़ारों तक पहुँच का अभाव:**
    - शहरी रिटेल चेन, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और व्यापक उपभोक्ता बाज़ार से जुड़ने में कठिनाई।
    - SHG उत्पादों में अक्सर गुणवत्ता और डिज़ाइन में असंगति होती है, जिससे बाज़ार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है।
3. **वित्तीय बाधाएँ:**
    - मुख्य रूप से माइक्रो क्रेडिट पर निर्भरता, जो स्केलिंग के लिए अपर्याप्त है।
    - औपचारिक ऋण और कार्यशील पूँजी तक सीमित पहुँच, क्रेडिट इतिहास और संपार्श्विक की कमी के कारण।
4. **खराब बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति श्रृंखला:**
    - कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, परिवहन और डिजिटल उपकरणों की कमी।
    - आपूर्ति श्रृंखलाएँ विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में कमजोर होती हैं।
5. **संस्थागत और प्रबंधकीय अंतराल:**
    - SHG में पेशेवर प्रबंधन और औपचारिक उद्यमों में बदलने के लिए आवश्यक संरचनाओं का अभाव।
    - संघीय संरचनाओं की कमी या बड़ी कंपनियों से जुड़ने में कठिनाई।
6. **नियामक और अनुपालन बोझ:**
    - GST पंजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन (जैसे FSSAI) और खाता-बही बनाए रखने जैसी जटिलताएँ स्केलिंग को हतोत्साहित करती हैं।

Result Mitra TM

चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम:

1. **क्षमता निर्माण और कौशल विकास:**
    - उद्यम प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय नियोजन और उत्पाद विकास के लिए प्रशिक्षण।
    - NGO, कौशल मिशन और कॉर्पोरेट CSR कार्यक्रमों के साथ सहयोग।
2. **SHG फेडरेशन और उत्पादक कंपनियों को सशक्त बनाना:**
    - क्लस्टर-आधारित संघ या किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन, जो बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन कर सके।
    - फेडरेशन सामूहिक ब्रांडिंग, मार्केटिंग और अनुपालन में मदद कर सकते हैं।
3. **वित्त तक पहुँच में सुधार:**
    - सरल बैंक लिंकेज, क्रेडिट गारंटी योजनाएँ और निवेशकों के लिए प्रोत्साहन जो SHG-आधारित उद्यमों में पूँजी लगा सकें।
    - सामाजिक उद्यम पूँजी और सरकारी समर्थित वित्तपोषण मॉडल का उपयोग।
4. **बाज़ार संपर्क और ई-कॉमर्स एकीकरण:**
    - अमेज़न सहेली, फ्लिपकार्ट समर्थ, और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना।
    - व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदार-विक्रेता बैठकों का आयोजन।
5. **बुनियादी ढाँचा विकास:**
    - सामान्य सुविधा केंद्र, वेयरहाउसिंग, ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जैसी योजनाओं का विस्तार (जैसे PMGSY, PMFME, NRLM)।
6. **नीति और पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन:**
    - SHG के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना।
    - आत्मनिर्भर भारत और ODOP (One District One Product) जैसी योजनाओं के तहत स्टार्टअप प्रोत्साहन।

निष्कर्ष:

हालाँकि SHG ने जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन्हें बड़े, उपभोक्ता-केंद्रित उद्यमों में बदलने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें कौशल विकास, संस्थागत सुधार, बाज़ार तक पहुँच और नीति समर्थन शामिल हैं। सही पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, SHG

Result Mitra

न केवल सामाजिक परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं, बल्कि समावेशी आर्थिक विकास के प्रमुख चालक भी हो सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में।

20 उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा की भूमिका का विश्लेषण करें।

परिचय:
सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, जैसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** और **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)**, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य **उत्तर प्रदेश (यूपी)** में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही हैं। इनका उद्देश्य आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है।

वर्तमान कवरेज और प्रभाव:

1. **सीमित बीमा प्रवेश:**
    - हाल के अध्ययनों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में केवल **16.4%** घरों में कम से कम एक सदस्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर है।
    - यह कवरेज में एक महत्वपूर्ण अंतराल की ओर संकेत करता है, जो व्यापक पहुंच और जागरूकता की कमी को दर्शाता है।
2. **आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) में कमी:**
    - **AB-PMJAY** के कार्यान्वयन से **21%** की औसत OOPE में कमी देखी गई है।
    - स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए लिए गए आपातकालीन ऋण में **8%** की कमी आई है, जिससे कई परिवारों का वित्तीय तनाव कम हुआ है।
3. **स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच:**
    - **AB-PMJAY** के लाभार्थियों ने समय पर उपचार तक पहुँच में सुधार का अनुभव किया है।
    - उदाहरण के लिए, कैंसर जैसी स्थितियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार में **90%** की वृद्धि हुई है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. **कम नामांकन दर:**

Result Mitra TM

- योजनाओं की उपलब्धता के बावजूद, बड़ी आबादी अब भी बीमाकृत नहीं है, जो बेहतर जागरूकता और सुव्यवस्थित नामांकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता को इंगित करता है।

2. **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:**
    - स्वास्थ्य बीमा की प्रभावशीलता उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
    - उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी वाले सार्वजनिक अस्पताल और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत निजी अस्पतालों का असमान वितरण एक बड़ी चुनौती है।
3. **वित्तीय स्थिरता:**
    - इन योजनाओं की दीर्घकालिक व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सरकारी धन और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
    - धोखाधड़ी और सेवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की कमी।

सुधार के लिए रणनीतियाँ:

1. **जागरूकता और आउटरीच बढ़ाना:**
    - ग्रामीण और वंचित समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभों और नामांकन प्रक्रियाओं के बारे में लक्षित अभियान चलाना।
2. **स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना:**
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश बढ़ाना और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएँ स्थापित करने के लिए निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करना।
3. **प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:**
    - भागीदारी को प्रोत्साहित करने और नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए नामांकन और दावा प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
4. **निगरानी और मूल्यांकन:**
    - सेवा वितरण की निगरानी, धोखाधड़ी रोकने और स्वास्थ्य परिणामों पर बीमा योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना।

निष्कर्ष:

हालाँकि सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सहायक रही हैं, इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित जागरूकता, बुनियादी ढाँचे में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के

Result Mitra TM

सरलीकरण की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करके, ये योजनाएँ राज्य में स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

Result Mitra